कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4–सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

Email : election09@gmail.com ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135)– 2713551, 2713552 फै0–2713724

संख्या–2330 / XXV –31/2021 देहरादून : दिनांक 03 दिसम्बर, 2021

–: ई–निविदा शुद्धि–पत्र (CORRIGENDUM) :–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में, ई–निविदा सूचना संख्या–2161 दिनांक 24 नवम्बर, 2021 के द्वारा मतदेय स्थलों पर प्रयोगार्थ **EVM & VVPAT** बैग की आपूर्ति हेतु **द्वि–निविदा प्रणाली** के अन्तर्गत वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित की गई थी। **दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को अपरान्ह 03:30 बजे ऑन लाइन/ऑफ लाइन प्री–बिड बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न इच्छुक निविदा–दाताओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया:–**

1. Mr. Mohit, Shri Ram solution (Off Line)
2. Mr. Sumit, Creative Concepts (Off Line)
3. Mr. Tarun, Defence Equippers (Off Line)

उक्त के अतिरिक्त New India Manufacturing Company द्वारा अपने ईमेल दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्री–बिड मीटिंग में प्राप्त Feed Back के क्रम में निम्न प्रकार Corrigendum जारी किया जाता है:–

1. आपूर्ति किये जाने वाले EVM एवं VVPAT बैग के संबंध में ANNEXURE-3 पर अंकित तकनीकी विशिष्टियों को निम्न सीमा तक संशोधन किया जाता है, अन्य विशिष्टियां यथावत रहेगी :–
   - Fabric Material के अन्तर्गत DYEING METHOD : JET DYEING को विलोपित किया जाता है।
   - Colour के अन्तर्गत Steel Gray के साथ Military Green को भी सम्मिलित किया जाता है।
   - Zip के अन्तर्गत Heavy Duty CFC zip को Heavy Duty CFC No. 10 zip को पढ़ा जाय।
2. निविदा के अभिलेख में निर्धारित बैग की मात्रा घट अथवा बढ़ सकती है। किसी भी बैग की मात्रा में **± 30%** तक होने पर वहीं दरें लागू होंगी जैसी की वित्तीय ई–निविदा में प्राप्त दरों के सापेक्ष निविदा समिति के द्वारा न्यूनत्तम दर को स्वीकृत–संस्तुत किया हो।
3. निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत सफल निविदा–दाता फर्म को कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में अपेक्षित बैग उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश के अनुरूप अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा, जो जमानत** की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।
4. प्रत्येक जनपद को आवंटित मात्रा में बैंग प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक पहुंचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। समय पर सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति हेतु ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी

आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. कार्यादेश के अनुरूप निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्ता के साथ अपेक्षित बैग आपूर्ति के फलस्वरूप तद्‌विषयक बिल भुगतान हेतु संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय को दोहरी प्रति में प्रस्तुत किये जायेंगे बजट की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित देयकों का यथा समय संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा ही भुगतान किया जायेगा।

6. तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत बैग के नमूने किसी भी रंग के हो सकते है, किन्तु निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत सफल निविदा–दाता फर्म को विभाग द्वारा दिये निर्धारित किये गये रंग के ही बैग उपलब्ध कराये जाने होगें।

अतः इस कार्यालय की उक्त निविदा संख्या–2161 दिनांक 24 नवम्बर, 2021 **को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।**

3/12/2021

(एस. ए. मुरूगेशन)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।